

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क०-479 / 08  
संस्थित दिनांक 12 / 12 / 08  
फाईलिंग नं. 233504000102008

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

निलेश पिता शिवप्रसाद साहू, उम्र 34 वर्ष,  
 जाति तेली, पेशा ड्रायवरी, नि०ग्राम मोरखा,  
 थाना बोरदेही, तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०),

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-27 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त निलेश के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 279,337 (सात बार) व 338(छः बार) एवं मो०व्ही०ए० की धारा 3/181 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 03/11/08 को 11:30 बजे हथनोरा जोड़ पेट्रोल पंप के पास लोकमार्ग पर वाहन (पिकप) क्रमांक एम.पी. 28-जी-0564 को बिना किसी वैद्य डाईविंग लायसेंस के परिचालित करते हुये उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये फरियादी/पीड़ितगण कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रख्खन, मिथलेश, शांताबाई, व गणपत को साधारण उपहति तथा फरियादी/पीड़ितगण राजू, मरोज, लेखराम, भीम बल्लोबाई व गुलाब को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 03/11/08 के 11:30 बजे कायमी दिनांक 03/11/08 के 13:30 बजे कायमीकर्ता हेडकांस्टेबल 19 विजय सोनी थाना मुलताई में रिपोर्ट किया कि वह और लोग मोरखा से बोरदेही बाजार निलेश साहू के पिकप एम.पी. 28 जी/0564 से बाजार करने जा रहे थे कि हथनोरा जोड़ के पास पेट्रोल पम्प के पहले मेन रोड पर निलेश साहू ने पीकप को तेज व लापरवाही से चलाकर दाहिने हाथ तरफ पलटा दिया जिससे पिकप में बैठे 10-12 सवारी को चोट आई है। गाड़ी में वह उसके साथ कृष्णा मोरखा, लेखराम साहू मोरखा, मनोज छिपा मोरखा, रखनपाल मोरखा, भीम ढीमर मोरखा और भी लोग बैठे थे, सभी को चोट लगी है, गाड़ी को निलेश साहू नि० मोरखा का चला

रहा था गाड़ी का रंग सफेद पिकप है तेज व लापरवाही से चलाकर गाड़ी को पलटा दिया है।

3— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 29 तैयार किया है। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 246/08 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 279, 337, 338 एवं मो०व्ही०ए० की धारा 3/181 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 04/11/08 को घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र०पी० 3 बनाया गया, दिनांक 04/11/08 को सम्पति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी०-4 बनाया गया है। दिनांक 17/11/08 को सम्पति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी०-13 बनाया गया है। वाहन मेकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी० 5 है। आहतगण का मेडिकल परीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 14 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

1— “आपने दिनांक 03/11/08 को 11:30 बजे हथनोरा जोड़ पेट्रोल पंप के पास लोकमार्ग पर वाहन (पिकप) क्रमांक एम.पी. 28-जी-0564 को बिना किसी वैद्य डाईविंग लायसेंस के परिचालित करते हुये उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये फरियादी/पीड़ितगण कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रख्खन, मिथलेश, शांताबाई, व गणपत को साधारण उपहति तथा फरियादी/पीड़ितगण राजू, मरोज, लेखराम, भीम बल्लोबाई व गुलाब को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की?”

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण**

6— अभियोजन साक्षी डॉ० डी०के० उज्जैनिया (अ०सा०24) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 17/11/2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ था। थाना बोरदेही के कांस्टेबल नं. 343 द्वारा निलेश पिता शिवप्रसाद, उम्र 24 साल, नि० मोरखा का परीक्षण डॉ० एस०एस० कुशवाह के द्वारा किया गया था। जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। चोट क्रं. 1 पुरानी बलन्ड इन्जुरी बाएं हाथ की कलाई पर थी जिसे एक्सरे के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ बैतूल के लिए रिफर किया गया था जो रिपोर्ट प्र०पी० 15 है जिसके अ से अ भाग पर डॉ० कुशवाह के हस्ताक्षर हैं। वह दिनांक 03/11/08 को सामुदायिक केन्द्र मुलताई में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक दिनेश क्रं. 484 आहत राजू पिता शिवप्रसाद, उम्र 30 साल, नि० मोरखा का परीक्षण किया गया था। जिसके शरीर में

निम्न चोट पाई थी। चोट क्रं. 1— फटा हुआ घाव 3 गुणित 2, गुणित 1 से०मी० सिर के दाहिने तरफ, चोट क्रं. 2— दांये कंधे पर दर्द और सूजन थी, चोट क्रं. 3— कोहनी पर दर्द और सूजन की शिकायत थी, उपरोक्त चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु कारित दर्शित हो रही थी, एक्सरे हेतु सलाह दी गई थी, आहत को हड्डी रोग विशेषज्ञ की सलाह हेतु रिफर किया गया था, जो मेरी रिपोर्ट प्र०पी० 16 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

7— उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत अनकसाहू पिता रग्धु साहू, उम्र 55 साल, नि० मोरखा का परीक्षण किया था जिसके शरीर पर निम्न चोट पाई थी। चोट क्रं.1— आहत के पीठ में एवं दांये तरफ छाती पर दर्द की शिकायत बता रहा था, किन्तु कोई सूजन नहीं थी। मरीज सचेत अवस्था में था एवं कोई बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। उक्त आहत को मेडिकल स्पेसलिस्ट के लिए सलाह दी गई थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 17 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक ही उक्त आरक्षक के द्वारा आहत गुलाब पिता कानू, उम्र 36 वर्ष, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया था जिसके शरीर पर निम्न चोट पाई थी, चोट क्रं 1— दर्द के साथ सूजन दांये पैर के पुट्टे पर थी और फिमर के उपरी भाग पर जोड़ हिल डुल नहीं रहा था, चोट क्रं. 2— कंटुजन 6 गुणित 6 से०मी० दांये पैर के पंजे पर सूजन एवं दर्द था, उपरोक्त दोनों चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। मरीज को हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच के लिए रिफर किया गया था। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 18 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक के द्वारा आहत जितेन्द्र पिता तुमरुलाल, उम्र 28 साल, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया गया, जिसका परीक्षण बी०एम०ओ० के द्वारा किया गया था, जिसके शरीर पर निम्नानुसार चोट पाई थी, चोट क्रं.1— दांये कंधे पर सूजन और दर्द की शिकायत बता रहा था, चोट क्रं 2— बांये पटेला पर सूजन एवं दर्द की शिकायत थी, अभिमत—चोट सख्त और बोथरी वस्तु से आई थी जो साधारण प्रकृति की थी जो 6 घंटे के अंदर की थी उक्त रिपोर्ट प्र०पी० 19 है। उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक के द्वारा आहत रखनपाल पिता टेनीपाल, उम्र 60 वर्ष, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके शरीर पर निम्न चोट पाई थी, चोट क्रं. 1 फटा हुआ घाव 3 गुणित 2 गुणित 1 से०मी० आकार की सिर के दांये तरफ थी, चोट क्रं 2 एक फटा घाव 3 गुणित 2 गुणित 1 से०मी० आकार की दांये काल पर साथ में मुंह और नाक से खून बह रहा था, चोट क्रं० 3— पीठ पर दर्द की शिकायत बता रहा था। उपरोक्त चोट के लिए सिर और नाक के लिए एक्सरे के लिए सलाह दी गई थी और हड्डी रोग विशेषज्ञ बैतूल जाने की सलाह दी गई थी। उक्त रिपोर्ट प्र०पी० 20 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

9— दिनांक 04/11/08 को डॉ० एस०एस० कुशवाह द्वारा पी.एस.सी. बोरदेही में आरक्षक राजेन्द्र रघुवंशी नं. 343 थाना बोरदेही द्वारा आहत मिथलेश पिता लालजी, उम्र 38 साल, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसकी परीक्षण डॉ० कुशवाह के द्वारा किया गया है, जिनकी हस्तलिपि व हस्ताक्षर को वह पहचानता है। जिसके शरीर पर निम्न चोट पाई थी, चोट क्रं. 1—दांये साईड के इन्साईजर दांत गिरे हुये थे चोट क्रं. 2— दांये गाल पर कई छिले हुये घाव जिनका आकार 2.5 गुणित

1.5 से.मी. था, चोट क्रं. 3—छाती पर कोई चोट के निशान नहीं पाए थे अभिमत—चोट 24 घंटे के अंदर की थी चोट सामान्य प्रकृति की थी, चोट नं० 2 सख्त और बोथरी वस्तु द्वारा पहुँचाई गई थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी० 21 है जिनके अ से अ भाग पर डॉ० कुशवाह के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 03/11/08 को बी०एम०ओ० मुलताई द्वारा आरक्षक दिनेश बोरदेही नं. 484 द्वारा लाया गया था, आहत शांताबाई पति पन्तू, उम्र 52 वर्ष, नि० मोरारढाना को परीक्षण हेतु लाया गया था जिसका परीक्षण बी०एम०ओ० मुलताई के द्वारा किया गया था जिसके परीक्षण पर निम्न चोट है, चोट क्रं. 1— एक फटा हुआ घाव 4 गुणित 1/3 इंच बोनी भाग पर था, चोट क्रं. 2— छाती पर दर्द की शिकायत बता रहा था, चोट क्रं. 3— बांये कोहनी पर दर्द की शिकायत कर रहा था, अभिमत— उपरोक्त चोटों साधारण प्रकृति की थी जो सख्त और बोथरी वस्तु के द्वारा पहुँचाई गई थी जो घंटे के अंदर की थी, उपरोक्त परीक्षण बी.एम.ओ. मुलताई के द्वारा किया है जो रिपोर्ट प्र०पी० 22 है।

10— दिनांक 03/11/08 को आरक्षक दिनेश थाना मुलताई द्वारा आहत बल्लो पति धनराज, उम्र 55 साल, नि० मोरारढाना को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके परीक्षण पर उसने निम्न लिखित चोट पाई थी, चोट नं.1— एक फटा हुआ घाव 4 गुणित 3 गुणित 1 से०मी० दांये आंख के नीचे साथ में मुंह और नाक से खून बह रहा था, चोट नं. 2— एक फटा घाव 3 गुणित 2 गुणित हड्डी की गहराई तक सिर के दांये तरफ पीछे साईड में, अभिमत—उपरोक्त दोनों चोटों सख्त एवं बोथरी वस्तु द्वारा आई थी, दोनों चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। मरीज को हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जांच हेतु रिफर किया गया था। मेरी रिपोर्ट प्र०पी० 23 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

11— दिनांक 03/11/08 को आरक्षक दिनेश थाना मुलताई द्वारा आहत गणपति पिता लोधू, उम्र 30 वर्ष, नि० कुजबा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके परीक्षण पर उसने निम्न चोट पाई थी, चोट नं. 1— फटा हुआ घाव 4 गुणित 3 गुणित हड्डी की गहराई तक, सिर के बांये तरफ पीछे साईड में, चोट नं. 2— एक कंटुजन 5 गुणित 4 से०मी० पीछे साईड में पीठ पर 7,8,9 सातवी, आठवी, नवमी पसली के उपर पाया था, अभिमत—उपरोक्त दोनों चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु द्वारा आई थी। मरीज को हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच हेतु रिफर किया गया था। रिपोर्ट प्र०पी० 24 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

12— दिनांक 03/11/08 को आरक्षक दिनेश थाना मुलताई द्वारा आहत मनोज पिता लक्ष्मण, उम्र 30 साल, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसमें उसने निम्न चोट पाई थी, चोट नं. 1— कंटुजन दर्द और सूजन के साथ 5 गुणित 4 से०मी० दांये हाथ की कोहनी पर बाहर की साईड पर था, अभिमत— इस चोट के लिए हाथ के एक्सरे की सलाह दी गई थी। मरीज को हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए बैतूल रिफर किया गया था। रिपोर्ट प्र०पी० 25 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 03/11/08 को आरक्षक दिनेश थाना मुलताई द्वारा आहत लेखराम पिता शिवदास साहू, उम्र 32 साल, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसमें उसने निम्न चोट पाई थी, चोट क्रं 1— एक फटा हुआ घाव 5 गुणित 3 गुणित हड्डी की गहराई तक, सिर के बांये तरफ थी, चोट नं. 2— एक कंटुजन या उभार 5 गुणित

5 से०मी० दांये हाथ की कोहनी पर बाहरी साईड में था, अभिमत-उपरोक्त दोनों चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। दोनों चोटें सख्त और बोथरी वस्तु से आई थी। मरीज को हड्डी रोग विशेषज्ञ के जांच के लिए बैतूल रिफर किया गया था। रिपोर्ट प्र०पी० 26 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

13- उक्त दिनांक को बी.एम.ओ. मुलताई द्वारा थाना बोरदेही के दिनेश कांस्टेबल द्वारा आहत कृष्णा पिता तिलक, उम्र 35 वर्ष, नि० मोरखा का परीक्षण किया गया, जिसमें बी.एम.ओ. मुलताई ने निम्न चोट पाई थी, चोट नं. 1- बांये हाथ के पंजे पर सूजन एवं दर्द की शिकायत थी, चोट नं. 2- बाएं डेलटॉईड रिजन पर दर्द और सूजन की शिकायत थी, चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु आई थी, चोट साधारण प्रकृति की थी और परीक्षण से 6 घंटे के अंदर की थी, रिपोर्ट प्र०पी० 27 है। दिनांक 3/11/08 को आरक्षक दिनेश थाना मुलताई द्वारा आहत भीम पिता सुक्कू उम्र 35 साल, नि० मोरखा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसमें उसने निम्न चोट पाई थी, चोट कं०1- एक कंटुजन 8 गुणित 6 से०मी० दांये हाथ के ह्यूमरस हड्डी पर पाया था। उक्त चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु द्वारा आई थी। मरीज को हड्डी रोग विशेषज्ञ की सलाह हेतु रिफर किया गया था, उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 28 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

14- इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आहतों के शरीर में कहां-कहां चोटें थी। इस गवाह ने मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 15 लगायत प्र०पी० 28 को अपनी साक्ष्य से अभिप्रमाणित किया है। इन रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि किस आहत को कहां-कहां चोटें पाई गई थी। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित ीजजचरुध्द172ण17ण15ण40धूमबवनतजपेध्उपदण्चीचहै कि घ टटना दिनांक को आहतगणों को चोटें थी।

15- अभियोजन साक्षी डॉ० योगेश गढ़ेकर (अ०सा०16) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 05/11/2008 को आहत भीम का परीक्षण किया था। चोट नं. 1 दाहिने कंधे में सुजन थी दर्द था जोड़ की गति दर्द मुक्त थी, आहत का उसकेद्वारा एक्सरे करने की सलाह दी गई थी उसका एक्सरे किया गया था जिसमें पाया गया था कि आहत के दाहिने कंधे में ह्यूमरस हड्डी के ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का अस्थी भंग हुआ था और खिसका हुआ था। जो प्रकरण में संलग्न है जो प्रदर्श पी 6 है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा आहत भीम के ह्यूमरस हड्डी ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का अस्थि भंग पाये जाने का उल्लेख है। उक्त गवाह भीम ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि पिकप को आरोपी निलेश बहुत स्पीड में चला रहा था जिससे वाहन घटना स्थल पर आया और पलट गया और वाहन पलटने से उसका बांया कंधा उखड़ गया था। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि वाहन पिकप के पलटने से आहत भीम को अस्थि भंग होने से घोर उपहति कारित हुई।

16- अभियोजन साक्षी डॉ० ओ०पी० यादव (अ०सा०15) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 04/11/08 को डॉ० रवि श्रीवास्तव ने पुरुष सरजीकल वार्ड से आहत भीम पिता सुखराम, उम्र 40 वर्ष, नि० मोरखा थाना बोरदेही को दांये कंधे के एक्सरे के लिए भेजा था जिसका एक्सरे प्लेट कं. 4461 है, एक्सरे में दांये कंधे पर डिसलोकेशन था, एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। उक्त दिनांक को बुल्लो पति धनाराम, उम्र 45 साल, नि० मोरखा को डॉ० राठौर ने सिर और दांये आरबिट के एक्सरे के लिए भेजा था जिसका प्लेट क्रं. 4490 है इसमें कोई अस्थि भंग नहीं था, उक्त पेसेन्ट को ही डॉ० कुम्हारा ने नाक की हड्डी के एक्सरे के लिए भेजा था जिसका प्लेट नं. 4493 है एक्सरे में नाक की हड्डी टूटी हुई थी उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि एक्सरे में नाक की हड्डी टूटी हुई थी जो उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० 06 एवं 07 है जिसके गवाह ने प्रमाणित किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत भीम के दांये कंधों एवं आहत बुल्लो की नाक की हड्डी में अस्थि भंग था जो कि घोर उपहति कारित हुई।

17— अभियोजन साक्षी वर्षा चांडक (अ०सा०18) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने डॉ० आर०एम० चांडक के साथ मिलकर आहत मनोज का प्रारंभिक उपचार उसके द्वारा किया गया था उसने उसके सीधे हाथ की कोहनी में डिसलोकेशन होना पाया था और उसके सीधे हाथ की रेडियल हड्डी में फेक्चर होना पाया था। आहत की चिकित्सा रिपोर्ट प्र०पी० 09 है, जो दो पृष्ठों में है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने डॉ० आर०एम० चांडक के साथ मिलकर दिनांक 03/11/08 को आहत राजू साहू के बांये हाथ में फेक्चर होना पाया था। आहत का इलाज के दौरान ऑपरेशन किया गया था उसकी चिकित्सा रिपोर्ट प्र०पी० 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा आहत मनोज की सीधे हाथ के रेडियल हड्डी में फेक्चर स्पष्ट रूप से बताया है उसी प्रकार आहत राजू के बांये हाथ में फेक्चर होना स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इस गवाह के द्वारा प्र०पी० 9 एवं 10 को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आहत मनोज को सीधे हाथ की रेडियल हड्डी में अस्थि भंग था और आहत राजू के बांये हाथ में फेक्चर होकर अस्थि भंग था।

18— अभियोजन साक्षी लेखराम (अ०सा०06) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पिकप को निलेश तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था और घटना स्थल पर लाकर आरोपी निलेश ने पिकप को पलटा दिया था जिससे उसे दांहिने हाथ के कंधे और सिर मस्तिष्क में चोट आई थी। आगे गवाह ने यह भी बताया है कि उसका दांहिना हाथ कंधे के पास से टूट गया था। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी गुलाब (अ०सा०21) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गाड़ी पलटने से वे सभी लोग घायल हो गये थे उसका मुलताई एवं सिम्स हॉस्पिटल नागपुर में इलाज हुआ था। दुर्घटना से उसके दांये पैर की हड्डी फेक्चर हो गई थी। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉ० डी०के० उज्जैनिया (अ०सा०24) ने अपनी साक्ष्य की कंडिका 4 में चोट क्रं 1 दर्द के साथ सूजन दांये पैर के पुटे पर थी और फिमर के उपरी भाग पर जोड़ हिलडूल नहीं रहा था, चोट क्रं 2 कंटूजन 6 गुणित 6 से०मी० दांये पैर के पंजे पर सूजन एवं दर्द था, दोनों चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। मरीज को जांच के लिए रिफर किया था। उसी प्रकार इस गवाह के द्वारा अपनी साक्ष्य की कंडिका 12 में चोट क्रं. 1 फटा हुआ घाव 5 गुणित 3 गुणित हड्डी की गहराई तक सिर के बांये तरफ थी। चोट क्रं 2 एक कंटूजन या उभार 5 गुणित 5 से०मी० दांये हाथ की कोहनी पर बाहरी साईड में था उपरोक्त दोनों चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। इस प्रकार डॉ० डी.के. उज्जैनिया के द्वारा आहत गुलाब एवं लेखराम के परीक्षण के समय जो चोट बताई गई है,



उक्त चोट का समर्थन आहत गुलाब और लेखराम की साक्ष्य से होता है।

19— साथ ही प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के द्वारा आहत लेखराम दाहिने कंधे के पास से टूट गया था, के तथ्य को बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा में खंडन नहीं किया है। उसी प्रकार आहत गुलाब के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया जाना कि दुर्घटना से उसके दांये पैर की हड्डी फैंक्चर हो गई थी, उक्त तथ्य को बचाव पक्ष ने कोई खंडन नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आहत लेखराम का दाहिना कंधा टूट कर घोर उपहति कारित हुई। उसी प्रकार आहत गुलाब के दांये पैर की हड्डी में अस्थि भंग होकर घोर उपहति कारित हुई।

20— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त ने आहत कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रक्खन, मिथलेश, शांताबाई व गणपत को साधारण उपहति तथा आहत राजू, मनोज, लेखराम, भीम, बल्लोबाई, गुलाब को घोर उपहति कारित की। अर्थात् यहां मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त एक्सीडेंट के समय वाहन पिकप को चला रहा था और उसी की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना हुई।

21— अभियोजन साक्षी कृष्णा साहू (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह तथा गांव के अन्य 20-25 लोग ग्राम मोरखा की पिकप में आरोपी की पिकप में बोरदेही बाजार जा रहे थे। पिकप को आरोपी निलेश चला रहा था। जैसी ही पिकप घटना स्थल के पास पहुँची तो पिकप पलट गई। आरोपी निलेश घटना पूर्व पिकप को बहुत तेजी से चलाकर लाया जिससे कारण पिकप पलट गई थी। आरोपी के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। यह बात उसे इसलिए मालूम है कि क्योंकि अस्पताल में निलेश बोल रहा था कि पुलिस को मत बताना, क्योंकि उसके पास लायसेंस नहीं है। पिकप पलटने से लगभग 20 लोगों को चोटों आई थी पिकप के पलटने से रक्खनपाल, लेखराम साहू, राजू साहू और दो-तीन लोगों को गंभीर चोटें आई थी। पिकप पलटने से उसके बांये हाथ में और कमर में चोट आई थी। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

22— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि वह गाड़ी के अंदर नहीं बैठा था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि गाड़ी में माल भरा हुआ था उसके उपर बैठा था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि गाड़ी में माल भरा हुआ था उसके उपर 10-12 लोग बैठे थे वह उनके बीच में बैठा था। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि आप गाड़ी के उपर 10-15 लोग के बीच में माल के उपर बैठे थे, वहां से चालक नहीं दिखाई देता है तो आपने चालक को कैसे देखा था, तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि वह मोरखा में 1 कि०मी० आगे से गाड़ी में बैठा था उसी समय गाड़ी निलेश चला रहा था उसी ने उसे गाड़ी में बैठाया था। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में लाए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट है कि वाहन पिकप में माल भरा हुआ था उसके पश्चात् भी आरोपी निलेश के द्वारा आहतगण को गाड़ी में बैठाया गया है, जो कि स्वयं उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही को स्पष्ट करता है। जिससे यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आरोपी निलेश के द्वारा वाहन पिकप को उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से चलाकर आहत कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रक्खन, मिथलेश, शांताबाई व गणपत को साधारण उपहति तथा आहत राजू, मनोज, लेखराम, भीम, बल्लोबाई, गुलाब को घोर उपहति कारित की।

23— अभियोजन साक्षी राजू साहू (अ0सा0-02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि

घटना दिनांक को वह तथा अन्य दस बारह लोग पिकप वाहन में सवार होकर मोरखा से बोरदेही पिकप वाहन में बाजार जा रहे थे पिकप वाहन को आरोपी निलेश चला रहा था। आरोपी से गाड़ी नियंत्रित नहीं हो पाई जिसके कारण गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटने से उसे तथा अन्य लोगों को भी चोटें आईं। दुर्घटना से उसका बाया हाथ फैंक्चर हो गया था। आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न में स्वीकार किया है कि आरोपी निलेश की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। आरोपी निलेश साहू ने पिकप वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया था जिसके कारण पिकप वाहन पलट गया था जिससे उन लोगों को चोट आई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना पुरानी होने के कारण उसने नहीं बताया था। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

24— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में अस्वीकार किया है कि मोरखा से पेट्रोल पंप जाते तक 6-7 बार गाड़ी रूकी थी। आगे इस साक्षी ने स्वतः कहा कि खेड़ली बाजार में गाड़ी रूकी थी और वहां सवारी ली थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी गाड़ी अच्छे से चला रहा था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आरोपी ने खेड़ली बाजार तक धीमी गति से चलाई थी और उसके बाद तेज गति से गाड़ी चला रहा था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि गाड़ी में तकनीकी खराबी थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि गाड़ी 6 महीने पहले खरीदी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उक्त पिकप में चालक के बाजू में आरोपी निलेश की बुआ और उसके पिताजी बैठे हुये थे। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना से उनको भी चोटें आई थी। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में लाए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन को चला रहा था और उसी उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना हुई।

25— अभियोजन साक्षी मनोज (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पिकप वाहन को आरोपी निलेश चला रहा था। आरोपी पिकप तेजी से चला रहा था। जैसी ही गाड़ी घटना स्थल के पास आई गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से उसका दाहिना हाथ दो जगह से टूट गया था, आज भी उसका हाथ ठीक से काम नहीं करता दुर्घटना से उसके अलावा राजू साहू, अनक साहू एवं अन्य लोगों को चोट आई थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय उक्त पिकप वाहन को कौन चला रहा था उसी की लापरवाही से दुर्घटना हुई। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए विसंगत कथनों के कारण इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त निलेश ही वाहन को चला रहा था और उसी की गलती से ही दुर्घटना घटित हुई।

26— अभियोजन साक्षी भीम (अ०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह तथा अन्य दस बारह लोग पिकप वाहन में सवार होकर मोरखा से बोरदेही जा रहे थे। पिकप को आरोपी निलेश बहुत स्पीड में चला रहा था जिससे वाहन घटना स्थल पर आया और वाहन पलट गया था। वाहन पलटने से उसका बाया कंधा उखड़ गया था। दुर्घटना से वाहन में सवार अन्य लोगों को भी चोट आई थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

27— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि



दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसने नहीं देखा। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे आज तक भी जानकारी नहीं लगी है कि एक्सीडेंट करने वाले वाहन को घटना के समय कौन चला रहा था। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए विसंगत कथनों के कारण इस गवाह की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

28— अभियोजन साक्षी रक्खन (अ०सा००५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह मोरखा से बोरदेही बाजार पिकप में बैठकर जा रहा था। गाड़ी तेजी से लहराते हुये गई और एक दम पलट गई। घटना के समय गाड़ी को नीलेश चला रहा था। उन लोगों ने नीलेश को गाड़ी चलाने के लिए मना किया था उन लोगों ने कहा कि तू गाड़ी मत चला तो उसने कहा कि वह खुद गाड़ी चला लेता है तू उसके घर जा। गाड़ी में 10-12 लोग बैठे थे जिसमें 6-7 लोगों को चोट आई थी जिसमें उसे आंख में चोट आई थी जिससे आज उसे दिखाई नहीं देता है और जिसमें उसके 6-7 दांत टूट गये थे। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

29— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि जहां ड्रायवर बैठा है, वहां पिकप में 3-4 लोगों के बैठने की जगह रहती है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आगे ड्रायवर की मां और उसका पिता बैठा था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि जब खेड़ली बजार में गाड़ी रूकी थी, तब दूसरा ड्रायवर बैठ गया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि नीलेश ने स्वयं चलाते ले गया उसने मैने तथा अन्य लोगों ने बोला कि सामान बहुत है सामान मत रखो। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल पेट्रोल पंप के पिछे साईड छिन्द के झाड़ के पास की घटना है। साक्षी ने स्वतः कहा कि अनट्रेंड व्यक्ति गाड़ी चलायेगा तो गाड़ी लहरायेगी ही।

30— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि आरोपी की गलती से गाड़ी नहीं पलटी स्टेरिंग खराब होने से गाड़ी पलटी है। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि गाड़ी तेज व लहराने के कारण गाड़ी पलटी थी। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा के तथ्य ही यह स्पष्ट करते हैं कि इस गवाह के द्वारा आरोपी नीलेश को गाड़ी चलाने से मना करने पर भी अभियुक्त के द्वारा गाड़ी चलाया गया, जो कि मुख्य परीक्षा के तथ्य ही उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन को स्पष्ट करते हैं। साथ ही प्रतिपरीक्षण के तथ्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक का अभियुक्त नीलेश गाड़ी चला रहा था और उसी की उपेक्षा एवं लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

31— अभियोजन साक्षी लेखराम (अ०सा००६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह लोग नीलेश की पीकप वाहन में बैठकर बोरदेही बाजार ग्राम मोरखा से जा रहे थे। पीकप को नीलेश तेजगति एवं लापरवाही से चला रहा था और घटना स्थल पर जाकर आरोपी नीलेश को पीकप को पलटा दिया था जिससे उसे दाहिने हाथ के कंधा और सिर मस्तिष्क में चोट आई थी, गाड़ी में बैठे अन्य 8-10 लोगों को चोट आई थी। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवायी थी उसका दाहिने हाथ कंधे के पास से टूट गया था। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

32— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि खेड़ली बाजार में जब गाड़ी रुकी थी उस समय उसने उतर कर नहीं देखा था कि ड्रायवर सीट पर कौन बैठा है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जैसे ही घटना घटी वह बेहोश हो गया था और घटना के समय वह चालक को नहीं देख पाया। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उसे सीम्स हॉस्पिटल में होश आया था, तब हॉस्पिटल के साथ के लोगों ने बताया था कि घटना के समय आरोपी निलेश वाहन को चला रहा था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह ट्राली में कौने में बैठा था वह देख नहीं पाया था वाहन तेज चल रहा था यह धीमी गति से चल रहा था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए विसंगत कथनों के कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन चला रहा था।

33— अभियोजन साक्षी अनक (अ०सा०७) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पीकप को निलेश तेजगति एवं लापरवाही से चला रहा था और घटना स्थल पर लाकर आरोपी निलेश को पीकप को पलटा दिया था। वाहन पलटने से उसका दोनों हाथ फैंक्चर हो गये थे। वाहन में सवार अन्य लोगों को चोटे आई थी। उक्त साक्ष्य बचाव पक्ष कही ओर से खंडन किया है।

34— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उक्त वाहन में से जब तक नीचे नहीं उतरते तब तक चालक ट्राली में बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया कि जैसे ही दुर्घटना हुई वैसे ही वह बेहोश हो गया था और किसी को देख नहीं पाया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर उसे होश नहीं आया था और वह घटना स्थल पर किसी को भी पहचान नहीं पाया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि जब उसे मुलताई हॉस्पिटल में होश आया तब उपस्थित लोगों ने उसे बताया था कि घटना के समय आरोपी निलेश उक्त वाहन को चला रहा था। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना के समय या एक्सीडेंट के समय उक्त वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देख पाया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए विसंगत कथनों के कारण इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गई।

35— अभियोजन साक्षी जितेन्द्र (अ०सा०८) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह लोग पिकप वाहन से मोरखा से बोरदेही बाजार जा रहे थे। मोरखा से वाहन को निलेश चला रहा था। एक्सीडेंट के समय कौन चला रहा था यह उन्हें नहीं मालूम क्योंकि वह पीछे बैठे थे। घटना स्थल पर गाड़ी पलट गई थी गाड़ी सामान्य गति से थी। गाड़ी पलटने से उसके दाहिने हाथ में चोट आई थी। पिकअप में सवार बाकी लोगों को भी चोट आई थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय उक्त वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई।

36— अभियोजन साक्षी गणपत (अ०सा०९) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि ६

17-18 के समय वह लोग पिकअप वाहन में बैठकर बोरदेही बाजार जा रहे थे। पिकअप को आरोपी नीलेश चला रहा था। आरोपी ने तेजगति से लापरवाही पूर्वक चलाकर पिकअप पलटा दिया। पिकअप पलटने से उसे सीने में और दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई थी। उसकी हथेली की हड्डी टूट गई थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

37- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि जहां वह बैठा था ट्राले में वहां से गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर दिखाई नहीं देता है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना के समय उक्त वाहन को कौन चला रहा था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे उसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए विसंगत कथनों के कारण इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गई।

38- अभियोजन साक्षी बल्लोबाई (अ०सा०10) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह पिकअप वाहन में बैठकर बोरदेही बाजार जा रही थी। गाड़ी को ड्राइवर ने तेजगति लापरवाही से वाहन चलाकर पलटा दिया जिससे उसे दाहिने आंख, दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई थी। दुर्घटना के बाद उसकी आंखों में दिखना बंद हो गया है। इस गवाह ने सूचक प्रश्न में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी नीलेश ने तेजगति एवं लापरवाही से पिकअप चलाकर पलटा दिया था जिसके कारण उसे चोटें आई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था वह देख नहीं देखा वह वाहन में ट्राली में बीच में बैठी थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए विसंगत कथनों के कारण इस गवाह की साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गई है।

39- अभियोजन साक्षी दिना पाल (अ०सा०11) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसके पिताजी नीलेश की गाड़ी में बैठकर बोरदेही बाजार जा रहे थे तो गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके पिताजी व अन्य लोग घायल हो गये थे उसके पिताजी का इलाज मुलताई एवं नागपुर में हुआ था। पिताजी ने बताया था घटना के समय आरोपी नीलेश चला रहा था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुये नहीं देखा। वह घटना स्थल पर नहीं था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि इसलिए वह नहीं बता सकता कि वह दुर्घटना के समय उक्त वाहन को कौन चला रहा था और किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी और गाड़ी कैसे चल रही थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से घटना घटित होने का समर्थन नहीं होता है।

40- अभियोजन साक्षी मिथलेश (अ०सा०13) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गाड़ी को आरोपी नीलेश चला रहा था। आरोपी तेज रफ्तार से चला रहा था। घटना स्थल पर आकर आरोपी गाड़ी को नहीं सम्भाल पाया और गाड़ी पलटा दिया और उसके दांत टूट गये थे उसकी पसली में अंदरूनी चोट आई थी। गाड़ी में सवार अन्य

लोगों को भी चोट आई थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि जहां वह बैठा था, वहां से चालक दिखाई नहीं देता है क्योंकि ट्राला चारों तरफ से बंद रहता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना के समय पिकप वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गई।

41— अभियोजन साक्षी महेश्वर सोनी (अ0सा014) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका इटावा (बोरदेही) बस स्टेण्ड में वाहन रिपेरिंग की दुकान है। उसे लगभग 30 वर्षों को वाहन रिपेरिंग का अनुभव है। उसने दिनांक 22/11/08 को पुलिस थाना बोरदेही से संबंधित वाहन क्रं. एम0पी0 28 जी 0564 पिकअप 207 का मैकेनिकल मुलाहिजा किया था जिसमें ब्रेक, स्टेरिंग, क्लच, ग्रेयर सही होना एवं इंजन चालु हालत में होना पाया था। उसने वाहन में कोई मैकेनिकल खामी नहीं पाया था। वाहन का सामने का कांच ड्रायवर के पिछे का कांच एवं साईट गिलाश टूटा हुआ पाया था एवं गाड़ी की ड्रायवर साईट की बाड़ी दबी हुई पाया था। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

42— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि वाहन में कोई यांत्रिकी खराबी रही हो तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने देखा नहीं था। न्यायालय की ओर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया गया है कि आपने आपकी मुख्य परीक्षा में वाहन में कोई मैकेनिकल खामी नहीं होना एवं क्लच, ब्रेक, ग्रेयर एवं स्टेरिंग सही होना बताया है और प्रतिपरीक्षण में आपने वाहन की यांत्रिकी खराबी चैन न करना तथा बाहर से वाहन देखना बताया है दोनों में से कौन सी बात सही है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसने जो मुख्य परीक्षा में जो बात बताई है, वह सही है। इस प्रकार किए गए प्रश्न उत्तर से यह स्पष्ट है कि वाहन क्रं. एम0पी0 28 जी 0564 पिकप में कोई यांत्रिकी खराबी नहीं थी। अर्थात् वाहन पिकप क्रं. एम0पी0 28 जी 0564 को अभियुक्त के द्वारा उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से वाहन चलाया गया जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई।

43— अभियोजन साक्षी शांताबाई (अ0सा012), अभियोजन साक्षी दुलीचंद (अ0सा019), अभियोजन साक्षी कमलेश (अ0सा020), अभियोजन साक्षी गुलाब (अ0सा021) अभियोजन साक्षी रामेश्वर (अ0सा022) एवं अभियोजन साक्षी अजय (अ0सा023) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

44— अभियोजन साक्षी लक्खू (अ0सा017) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर उसके द्वारा अस्पताल जाकर मुर्जर राजू पिता शिवप्रसाद साहू मोरखा, अनकलाल, व0 रद्दु साहू मोरखा और जितेन्द्र पिता अमरूलाल साहू मनोज पिता लक्ष्मण छिपा मोरखा कृष्णा पिता तिलक साहू एवं भीम पिता सुखराम ढीमर के मुलाहिजा फार्म भरकर डॉ0 से मुलाहिजा कराया गया है। उक्त साक्ष्य से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा आहत को पिकप वाहन से जो घटना हुई है उसी घटना के संबंध में आहतगण का मुलाहिजा फार्म भरा गया है, जो

कि घटना घटित होने तथ्यों की पुष्टि करता है।

45— अभियोजन साक्षी डी०पी० जाटव (अ०सा०25) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि विवेचना के दौरान घटना स्थल पर पहुँचकर चश्मदीद साक्षी मिथलेश पटवा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी मानचित्र बनाया गया था जो प्र०पी० 3 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अपराध की विवेचना के दौरान साक्षी मनोज पंचोले, लेखराम साहू, कृष्णा साहू, भीम कहार, अनक साहू, गणपत देशमुख, मिथलेश पटवा, गुलाब मोहबे, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। प्रकरण में घटना से संबंधित सफेद रंग की 207 डी०आई० कम्पनी की जिस पर नम्बर एम०पी० 28 जी 0564 लिखा था पिकअप का सामने का कांच ड्रायवर साईट का आईना, ड्रायवर के पीछे का कांच टूटा था, उक्त वाहन घटना स्थल से साक्षी मिथलेश पटवा एवं कमलेश पटवार के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 4 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन से संबंधित कागजाद रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, मालयान अनुज्ञा पत्र एवं नेशनल इंश्योरेंस आदि कागजाद पिकअप के चालक आरोपी निलेश साहू के द्वारा पेश करने पर समक्ष साक्षीगण रामेश्वर बिसन्द्रे एवं अजय साहू के समक्ष जप्त किये जाकर जप्ती पत्रक प्र०पी० 13 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

46— इस गवाह के द्वारा घटना नक्शा मौका प्र०पी० 3 को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। साथ ही घटना नक्शा मौका प्र०पी० 3 का अभियोजन साक्षी मिथलेश (अ०सा०13) ने प्र०पी 3 का समर्थन किया है और कथन देने के तथ्यों का समर्थन साक्षी कृष्णा साहू, राजू, मनोज, भीम, रक्खन, लेखराम, अनक, जितेन्द्र, गणपत, बल्लोबाई, दिनापाल, मिथलेश ने अपनी साक्ष्य से किया है। सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 4 को भी इस गवाह के द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है और प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि जिससे इस गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके, बल्कि इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है, जो कि घटना घटित होने के तथ्यों की पुष्टि करती है।

47— अभियोजन साक्षी डी०पी० जाटव (अ०सा०25) ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि अभियुक्त निलेश के द्वारा बिना वैध ड्रायविंग लायसेंस के गाड़ी चलाया। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि घटना दिनांक को अभियुक्त निलेश के द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन को चलाया।

48— बचावपक्ष की ओर से मौखिक तर्क के दौरान व्यक्त किया गया की मात्र प्रकरण में अभियोजन साक्षी कृष्णा साहू (आ०सा०01), अभियोजन साक्षी राजू साहू (आ०सा०02), अभियोजन साक्षी रक्खन (आ०सा०05) की साक्ष्य ने घटना का समर्थन किया है। किन्तु अन्य स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने वाहन का नम्बर और चालक का नाम नहीं बताया है। मात्र साक्षी कृष्णा साहू, राजू साहू, रक्खन ने घटना के बारे में बताया है। उक्त गवाह रंजिश वंश झूठा फंसाया गया है। उक्त मौखिक तर्क का लाभ भी बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है। अभियोजन साक्षी कृष्णा (आ०सा०01), अभियोजन साक्षी राजू साहू (आ०सा०02), अभियोजन साक्षी रक्खन (आ०सा०05) की मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों ने ही अभियुक्त के द्वारा

उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन के तथ्यों को स्पष्ट किया है। उक्त गवाहों की साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। उक्त गवाहों की साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय है।

49— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन (पिकप) क्रमांक एम.पी. 28—जी—0564 को बिना किसी वैद्य ड्राईविंग लायसेंस के परिचालित किया। किन्तु उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने वाहन (पिकप) क्रमांक एम.पी. 28—जी—0564 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये फरियादी/पीड़ितगण कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रख्खन, मिथलेश, शांताबाई, व गणपत को साधारण उपहति तथा फरियादी/पीड़ितगण राजू, मरोज, लेखराम, भीम बल्लोबाई व गुलाब को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्र० 1 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

50— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि अभियुक्त ने वाहन (पिकप) क्रमांक एम.पी. 28—जी—0564 को बिना किसी वैद्य ड्राईविंग लायसेंस के परिचालित किया। इस प्रकार अभियुक्त को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने वाहन (पिकप) क्रमांक एम.पी. 28—जी—0564 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुये फरियादी/पीड़ितगण कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रख्खन, मिथलेश, शांताबाई, व गणपत को साधारण उपहति तथा फरियादी/पीड़ितगण राजू, मरोज, लेखराम, भीम बल्लोबाई व गुलाब को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त नीलेश को भा०द०वि० की धारा 279, 337(7बार), 338(6बार) के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

51— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री के०एल० सोलंकी द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त प्रथम अपराधी है और परिवार का कर्ता सदस्य है उसके जेल जाने से सामाजिक व आर्थिक रूप से विपरित प्रभाव पड़ेगा। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन ए०डी०पी०ओ० श्री पंकज रघुवंशी की ओर अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

52— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क विचार किया गया। अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा 279, 337(7बार), 338(6बार) के अपराध में दोषसिद्ध किया है, जो कि भा०द०वि० की धारा 338(6बार) का अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। साथ ही भा०द०वि०



की धारा 279 के अपराध से भा०द०वि० की धारा 338(6बार) का अपराध गुरोत्तर प्रकृति (बड़ा अपराध) का है, इस कारण अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा 338(6बार), के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः निम्न तालिका अनुसार कारावास के साथ अर्थदण्ड से भी दंडित किया जाता है।

क्रं.	अभियुक्त	धाराएँ	सजा एवं अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर कारावास
1	निलेश	337(7बार)	अभियुक्त को प्रत्येक आहतगण कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रख्खन, मिथलेश, शांताबाई, व गणपत के प्रति 6-6 (छैः-छैः) माह का सश्रम कारावास से भुगताया जावे तथा प्रत्येक आहत गण के प्रति 200/-, 200/-(दो-दो सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जावे।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1-1 (एक-एक) माह का सश्रम कारावास से भुगताया जावे।
2	निलेश	338(6बार)	अभियुक्त को प्रत्येक आहतगण राजू, मरोज, लेखराम, भीम, बल्लोबाई व गुलाब के प्रति 1-1 (एक-एक) वर्ष का सश्रम कारावास से भुगताया जावे एवं प्रत्येक आहतगण राजू, मरोज, लेखराम, भीम, बल्लोबाई व गुलाब के प्रति 200/-, 200/-(दो-दो सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जावे।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1-1 (एक-एक) माह का सश्रम कारावास से भुगताया जावे।

53— अभियुक्त को अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की सजा पृथक से भुगतायी जावे। अभियुक्त को दी गई सश्रम कारावास की सजा साथ-साथ भुगताई जावे। प्रकरण में अभियुक्त विचारण व रिमाण्ड के समय उपजेल मुलताई में निरोध रहा हो, तो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

54— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत कुल अर्थदण्ड की राशि 2600/-रुपये में से प्रत्येक आहतगण कृष्णा, अनकलाल, जितेन्द्र, रख्खन, मिथलेश, शांताबाई, गणपत राजू, मरोज, लेखराम, भीम, बल्लोबाई व गुलाब को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 150/-, 150/-(एक सौ पचास-एक सौ पचास) रुपये दिया जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

55— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एम०पी० 28 जी 0564 पूर्व से आवेदक/सुपुर्ददार लक्ष्मीनारायण पिता कुंवरलाल की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

